**फर्द अहकाम**

## न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं

**मंगलचन्द बनाम सुन्दरी देवी वगै0**

मुकदमा **संख्या :–21 / 2021**

| दिनांक | आज्ञा – पत्र |
|---|---|
| 17.12.2021 | |

<u>**प्रार्थना पत्र तहत धारा 151 जाप्ता दीवानी**</u>

**आदेश**

**दिनांकः– 17.12.2021**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि अप्रार्थीगण ने न्यायालय के समक्ष एक वाद तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी दीपाराम बनाम कालूराम वगै0 वाद सं0 200 / 2001 व प्रार्थना पत्र सं0 164 / 2001 पेश किया था, जिसमें प्रार्थना पत्र सं0 164 / 2001 का दोनों पक्षों की सुनकर न्यायालय श्रीमान द्वारा भूमि के वर्तमान कब्जे के अनुसार एक दूसरे के उपयोग उपभोग में नहीं करें तथा अप्रार्थीगण विवादग्रस्त आराजी के किसी विशिष्ठ भूभाग का बेचान नहीं करने बाबत न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.01.2003 को पाबन्द फरमाया गया था। अप्रार्थी ने विवादित भूमियों के बाबत न्यायालय के समक्ष द्वितीय प्रार्थना पत्र सं0 03 / 2009 उनवानी सुन्दरी देवी वगै0 बनाम लाडा देवी वगै0 पेश किया था, जिसे दोनों पक्षों की सुनवाई कर न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 26.04.2013 को पूर्व से जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 02.01.2009 को कन्फर्म कर दिया तथा ता फैसला वाद उभयपक्षों को इस कदर पाबन्द किया गया कि वे वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बरान 1 ता 5, 13 ता 21, 24 ता 29, 70 / 1855, 82 / 1856 कुल किता 22 का कुल रकबा 21.53 हैक्टेयर वाके ग्राम गोविन्दगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर तथा खसरा नम्बर 24, 25, 43, 26 / 346, 42 / 347 कुल किता 5 का कुल रकबा 4.17 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 41, 44 कुल किता 2 का कुल रकबा 2.28 हैक्टेयर वाके ग्राम चारणवास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त आदेश आज दिवस तक प्रभावी है। प्रार्थीगण जो कि उक्त विवादित भूमियों के खातेदार हैं तथा उक्त भूमियों में प्रार्थीगण के पिता रुड़ा के नाम से खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड चली आ रही है तथा खातेदार रुड़ा पुत्र बिरदा का दिनांक 19.09.2001 को, रुड़ा की पत्नि मु0 धापा बैवा रुड़ा का दिनांक 09.04.2018 को, भूरी देवी पत्नि गोपीराम का दिनांक 06.12.2006 को तथा भगवानसहाय पुत्र गोपीराम का दिनांक 11.07.2021 को स्वर्गवास हो चुका है, जिनका प्रार्थीगण विरासत का नामान्तकरण खुलवाना चा[illegible] त्याग पत्र व के0सी0सी0 ऋण भी लेना चाहते हैं, जिसमें प्रार्थीगण को न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.04.2013 में छूट [illegible] में आवश्यक है। उक्त विवादित भूमियों के बाबत अप्रार्थीगण वादीगण की ओर से पेश द्वितीय प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण पक्षकार नहीं हैं तथा प्रार्थीगण विरुद्ध किसी भी प्रकार की दादरसी नहीं है। उक्त विवादित भूमियों में प्रार्थीगण के पिता रुड़ा पुत्र बिरदा व माता मु0 धापा बैवा रुड़ा, भूरी देवी पत्नि गोपीराम व भगवानसहाय पुत्र गोपीराम का विरासत का नामान्तकरण नहीं खुलने से प्रार्थीगण के हक में ना तो बहिनों का त्याग हो रहा है, ना ही के0सी0सी0 लोन की सुविधा मिल रही है, जिससे प्रार्थीगण अपनी भूमियों में

Signature Not Verified
Digitally signed by Harshit Verma
Date: 2022.04.26 15:53:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

विकास कार्य नहीं कर पा रहे हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र **मय शपथ** पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त विवादित भूमियों बाबत प्रार्थना पत्र के निर्णय दिनांक 26.04.2013 में प्रार्थीगण को विरासत का नामान्तकरण खुलवाने, हक त्याग करवाने व के0सी0सी0 लोन लेने की छूट प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प कोर्ट भूतेड़ा में पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। प्रार्थना पत्र की नकल दी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र न देकर नो ओब्जेक्शन प्लीड किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि पर विरासत का नामान्तकरण, हक त्याग व के0सी0सी0 लोन लेने हेतु प्रार्थना पत्र सं0 03/2009 उनवानी सुन्दरी देवी बनाम लाडा देवी वगै0 के निर्णय दिनांक 26.04.2013 में छूट प्रदान करने हेतु अनुमति चाहते हैं। विरासत का नामान्तकरण, हक त्याग व के0सी0सी0 लोन लेने से वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 सी0पी0सी0 का स्वीकार किया जाना न्यायालय अभिमत में उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 151 सी0पी0सी0 का स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को विरासत का नामान्तकरण, बहिनों का हक त्याग व के0सी0सी0 लोन लेने की हद तक प्रार्थना पत्र सं0 03/2009 उनवानी सुन्दरी देवी बनाम लाडा देवी वगै0 के निर्णय दिनांक 26.04.2013 को इस न्यायालय द्वारा जारी अस्थायी निषेधाज्ञा में छूट प्रदान की जाती है।

आदेश आज दिनांक [illegible] पेशकार द्वारा लिखवाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प भूतेड़ा में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Harshit Verma
Date: 2022.04.26 15:53:03 IST
Reason: SelfAttested